

एक नजर में


खेत में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार



इंदौर. ग्राम हसलपुर में खेत पर काम करने वाली एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. घटना की रिपोर्ट पर मानपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी छोट्टा पिता बनसिंह, मूलतः धार जिले के सियाही गांव का रहने वाला है और वर्तमान में हसलपुर गांव में मजदूरी कर रहा था. वह पीड़िता को पहले से जानता था. पहले 3 अगस्त को और फिर 5 अगस्त की सुबह उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती की. पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएसपी की धाराओं और पॉल्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दबिश दी और आरोपी को खेत से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है. मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां उसे उर्से जेल भेजा गया.

शांतिर बदमाश अन्नू जाटव को किया जिलाबदर

इंदौर. आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले शांतिर बदमाश आनंद उर्फ अन्नू जाटव को पुलिस ने छह माह के लिए शहर से जिलाबदर कर दिया है. 25 वर्षीय आनंद उर्फ अन्नू पिता सूरज जाटव निवासी राधा नगर, थाना सदर बाजार के खिलाफ लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायतें सामने आ रही थीं. सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बंदर की कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसे मंजूरी मिलते ही इंदौर नगरीय, देहात और आसपास के सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से छह माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया. सदर बाजार पुलिस ने आदेश को सार्वजनिक रूप से लाउन्सपीकर के माध्यम से क्षेत्र में प्रसारित किया और आरोपी अन्नू जाटव व उसके परिजनों को आदेश का पालन करने के लिए पाबंद किया.



बाकु लहराते युवक को पकड़ा

इंदौर. आजाद नगर पुलिस ने मूसाखेड़ी क्षेत्र में न्यू आर्टीओ रोड के सामने सिमनेवर हाइट्स के पास खटकेदार वाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है. 32 वर्षीय आरोपी संजय यादव निवासी मयूर नगर, गली नं. 19 को पुलिस ने पकड़ा. आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है.

बिल पत्र के पीछे रोपण किये गए



देपालपुर. नगर में वैश्य समाज के द्वारा बेलपत्र के पीछे वितरण किये गए. सावन मास के अंतिम सोमवार को देपालपुर थाना परिसर के शिव मंदिर में थानेदार साहब रणजीत बघेल, वैश्य समाज के पदाधिकारी, देपालपुर नगर के पत्रकार बन्सुओ द्वारा बेल पत्र के पीछे रोपण भी किये गए. इस अवसर पर थानेदार रणजीत बघेल ने वैश्य समाज की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज की बहुत ही अच्छी पहल है. बता दे कि बेल पत्र के पीछे की पतियां भगवान शंकर की शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाए जाने एक बहुत ही एक आवश्यक चीज है, जिसके बिना शिवजी का अभिषेक अधूरा माना जाता है, जो भगवान शंकर का भी अतिप्रिय है. सावन मास में बिल पत्र की पतियां बाजारों में भी नहीं उपलब्ध नहीं हो पाते, यदि हम इस सावन में यह पीछा लगाते हैं और इसकी व्यवस्था कर दे देखना तो तो शायद अगले वर्ष तक बहुत से शिव भक्तों की जरूरत पूर्ण हो जाएगी. इसी उद्देश्य के साथ वैश्य समाज ने लगभग नगर प्रमुख शिव मंदिरों सहित सेकड़ों पीछे निशुल्क रूप से शिव भक्तों तक पहुंचाए है. इस पुनीत कार्य में राज जैन, सौरभ जैन, पत्रकार जेपी नागर, दिलीप यादव, शिवम सोनी, आशीष जैन सहित देपालपुर थाने के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. संचालन मनोज अग्रवाल ने किया. आभार शिवम सोनी ने माना.

सर्व ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा वैदिक राखी निर्माण



महु. सर्व ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा आज सर्व समाज के लिए वैदिक राखी बनाने की विधि सिखाने का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्वान परिषद के अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा एवं अध्यक्षता सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा ने की. समाजसेवी शैलेन्द्र शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे. कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें सभी समाजों के प्रमुख महिला मंडलों की सक्रिय भागीदारी रही. पंडित कपिल शर्मा ने वैदिक राखी का महत्व, इसका इतिहास तथा इसे पहले किस और क्यों बांधा गया, इसकी विस्तृत जानकारी दी. पं. दिनेश शर्मा ने आयोजन के लिए सभी मातृशक्ति को बधाई दी. शैलेन्द्र शुक्ल ने राजा बलि और लक्ष्मी जी की कथा तथा द्रौपदी को भगवान कृष्ण द्वारा संकट से बचाने का प्रसंग सुनाया. कार्यक्रम में वैदिक राखी- चावल, सरसों, हल्दी और कापड़े से-बनाना सिखाया गया, जिसकी सभी सामग्री पंडित कपिल शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई. इस अवसर पर विभिन्न समाजों एवं महिला मंडल प्रमुखों का सम्मान किया गया, जिनकी संख्या 30 थी. सभी को स्मृति चिह्न भेंट किए गए. कार्यक्रम में समाज की अध्यक्ष स्वर्णा दुबे, स्वाति शर्मा, रमा शर्मा, सुचिता महेश, दीप पाठक आरती शर्मा, शोभा व्यास, निर्मला शर्मा, रीता उपमन्यू, लक्ष्मी शर्मा सहित अनेक बरिष्ठजन उपस्थित रहे. संचालन निशा शर्मा एवं स्मृति दुबे ने किया. आभार आरती शर्मा ने माना.

संगीतकारों ने महान गीतकारों को किया याद

महु. दीपक जाजू मित्रमंडल द्वारा किशोर कुमार और मो. रफी के गीतों को समर्पित एक संगीत संध्या का आयोजन बालाराम वैद्य गार्डन में किया गया. विजय परदेसी ने बताया कि कार्यक्रम में सुरेश मोरे, सुरेश वैद्य, कुँवर अजय सिंह, वर्षा सिंह, मेघा मकरानी, कमलेश यादव, सुनील कोशल, कन्हैया सिंह चौहान, राजेश भूत, जितेंद्र मोरे, निधि मोरे, रमेश जेसवार, राजीव परदेसी, गिरीश कोटारी, संजय यादव, मो. सलीम, वीरेंद्र कोणे, सुनीता कोणे, विजय शर्मा, बी के पाल, शिखा कश्यप, सुनील रघुवंशी, डॉ पी एस दुबे, डॉ बी के ठक्कर, विनीता शर्मा, सुमन हीरे, अरुण हीरे, मधु विजयवर्गीय, नीता तिवारी, पुष्या मालवीय, गायत्री विजयवर्गीय, भावना सोनी, राजेश गोडले, देवराज यादव, जितेंद्र चौधरी, नरोत्तम माहेश्वरी, किष्ण माहेश्वरी, उमा शर्मा, गोपाल बंसल ने अपने गीतों से दोनों महान गायकों को याद किया. दीपक प्रदीपन राधेश्याम यादव, बसंत अग्रवाल, सुभाष पटवा, अशोक दीक्षित द्वारा किया गया. कार्यक्रम में निर्मला यादव, शकुंतला विजयवर्गीय, राजेश मुलानी, उमेश मुलानी, उर्मिला लोहारिया, मनदीप मकरानी, धिंजन खडेलवाल, डॉक्टर धर्मा बालकृष्णन कमलेश सोनी मंजू चौहान राजेश जिवंद, जितन गोयल, डॉ संजय श्रीवास्तव, डॉ अनुपम श्रीवास्तव, कै पी सिंह ने किया. संचालन संगीत माहेश्वरी ने किया. आभार सुरेश वैद्य ने माना.

लुटेरी दुल्हनों के गिरोह का पर्दाफाश

- ▶ राजस्थान और यूपी में भी हैं प्रकरण दर्ज
- ▶ शादियां के बाद गहने समेट कर हो जाती थी फरार

नव भारत न्यूज
इंदौर. शादियों की आड़ में ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. राजजी बाजार पुलिस ने गिरोह की तीन महिलाओं सहित पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो इंदौर सहित देश के कई राज्यों में सक्रिय थे. इस गिरोह के खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई शहरों में प्रकरण दर्ज हैं.

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान पूजा, दीपिका और प्रिया के रूप में हुई है, जबकि दो पुरुष



अलग-अलग नामों से करते थे काम

मामले में राजजी बाजार थाना प्रभारी का कहना है कि यह गिरोह बेहद शांतिर तरीके से अलग-अलग नामों और पते से काम करता था. फिलहाल सभी आरोपियों से गहराई से पूछताछ की जा रही है, और उम्मीद है कि और भी चौकाने वाले खुलासे सामने आएंगे.

सदस्यों विजय और वीरेश को भी पकड़ा है. गिरोह की दो महिला सदस्य उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और पूरे नेटवर्क के जरिए यह गिरोह देश के अलग-अलग राज्यों

दुल्हन को गहने वगैरह सौंप दिए जाते, कुछ ही दिनों में वह मौका देखकर घर से फरार हो जाती थी. पुलिस का कहना है कि गिरोह सुनियोजित ढंग से काम करता था, जिसमें पुरुष सदस्य लड़का तलाश करते और सौदा तय कराते थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह के खिलाफ झालावाड़, डंग राजस्थान और रतलाम के नामलों में भी प्रकरण दर्ज हैं. वहां भी ये लाखों के जेवर लेकर फरार हो चुके हैं. पुलिस ने आरोपियों से कुछ सोने-चांदी के जेवरों के बराबर भी किए हैं. पुलिस को शक है कि इंदौर में हाल ही में सामने आए तीन-चार ऐसे मामलों के पीछे भी यही गिरोह हो सकता है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

लव जिहाद फंडिंग केस में फरार पार्षद कादरी को कोर्ट ने दी अंतिम चेतावनी

▶ अब नहीं मिली मोहलत, सामने नहीं आया तो होगी संपत्ति कुर्क



नव भारत न्यूज
इंदौर. लव जिहाद फंडिंग केस में फरार चल रहे पार्षद अनवर कादरी को जिला अदालत ने खुद को पेश करने के लिए एक माह की अंतिम मोहलत दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि यदि वह तय समयसीमा में सामने नहीं आता, तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश दंडेलिया ने बताया कि अनवर कादरी को गिरफ्तारी में सहयोग के लिए उस पर 15 हजार का इनाम घोषित किया है. साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है. फिलहाल कोर्ट ने अनवर कादरी को फरार माना है, भगोड़ा घोषित नहीं किया है. इस संबंध में कादरी की ओर से पक्ष रख रहे

कम है. उन्होंने कहा कि वह चाहे देश में हो या देश के बाहर, गिरफ्तारी के लिए कानूनन सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन फिलहाल उसे अंतरराष्ट्रीय भगोड़ा घोषित करने जैसी स्थिति नहीं बनी है. कुल मिलाकर, अब पार्षद अनवर कादरी के पास कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक माह का समय है. इसके बाद कादरी और कड़ी हो सकती है. वहीं रविवार को अनवर कादरी की बेटी आयशा की रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयशा की रिमांड छह दिन और बढ़ा दी थी.

सड़क हादसे में युवती की मौत

▶ अन्य हादसे में महिला सहित चार लोग घायल

नव भारत न्यूज
इंदौर. बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह हुए दो अलग-अलग हादसों में एक 23 वर्षीय युवती की जान चली गई, जबकि महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, दोनों ही मामलों में ट्रक और कार चालक की लापरवाही सामने आई है, जिनके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है.

तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के केलोद फाटे के पास बुधवार रात 11.40 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मार दी. घटना में 23 वर्षीय आस्था सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी 25 वर्षीय जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों बायपास रोड से गुजर रहे थे तभी

ट्रक नम्बर एमपी 09 एचजी 2179 ने तेज गति और लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी. मामले में जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक विष्णु कुमार चौहान ने ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एक अन्य दूसरी घटना एरोडूम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़ा रोड स्थित कासम बावड़ी के पास गुस्वार सुबह करीब 9 बजे हुई. 32 वर्षीय ममता वर्मा अपने पति अमिताभ वर्मा और साथी राजू सोलंकी के साथ बाइक पर जा रही थीं. तभी कार नम्बर एमपी 13 सीडी 6605 के चालक ने लापरवाही से तेज रफ्तार में उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में ममता को कमर और दाहिने हाथ में, अमिताभ को पैर व चेहरे पर जबकि राजू को हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं. मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस ने आरोपी कार चालक के प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खजूरी बाजार में लगी भीषण आग, दो दुकानें खाक

- ▶ स्टेशनरी और राखियों का लाखों का माल जलकर राख
- ▶ फायर ब्रिगेड की टीम ने 15 हजार लीटर पानी से संभाला मोर्चा

नव भारत न्यूज
इंदौर. शहर के सबसे व्यस्त व्यापारिक इलाकों में शुमार खजूरी बाजार में बुधवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की चपेट में स्टेशनरी और राखी की दो दुकानें आ गईं, वहीं एक गोदाम में धुएँ का गुबार भर गया. फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई, हालांकि दोनों दुकानों में लाखों का माल जलकर खाक हो गया.

फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को सुबह करीब 5.15 बजे सूचना मिली कि खजूरी बाजार में आग भड़क गई है. तत्काल सहायक उपनिरीक्षक शिवनारायण शर्मा के नेतृत्व में दमकल की टीम मौके पर पहुंची.



आग अथर्व कार पुस्तक की दुकान से शुरू हुई, जिसके मालिक ब्रह्मा खंडेलवाल हैं. दुकान में राखी कापी-

15 हजार लीटर पानी

फायर अधिकारी शिवनारायण शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए अब तक करीब 15 हजार लीटर पानी खर्च हो चुका है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, प्रारंभिक अनुमान में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. घना बाजार और तंग गलियों के बीच मौजूद इस क्षेत्र में आग तेजी से फैल सकती थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा नुकसान टल गया.

चपेट में ले लिया. यह दुकान सतीश खंडेलवाल की है, जहां राखी और अन्य गिफ्ट आइटम रखे गए थे, यहां भी भारी नुकसान हुआ है. इन दुकानों के ऊपर पहली मंजिल पर महेश खंडेलवाल का गोदाम बना हुआ है. गोदाम में धुआं भर जाने से वहां रखे करीब दो ट्रक माल को खाली कराने के लिए मजदूर लगाए गए हैं.

सड़क पर भटक रही युवती को थाने ने दिलाया सहारा

- ▶ इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय में कराया भर्ती
- ▶ अब तक कोई भी परिजन नहीं आए सामने

नव भारत न्यूज
इंदौर. कई महीनों से कस्बे की गलियों और सड़कों पर अकेली भटक रही एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती की हालत पर आखिरकार मानपुर पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई और उसे इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय पहुंचाकर सराहनीय मानवीय उदाहरण पेश किया.

यह युवती बीते कुछ समय से कभी थाना परिसर तो कभी मुख्य बाजार के आस-पास दिन-रात घूमती रहती थी. किसी से ज्यादा बात नहीं करती, कभी-कभी जोर-जोर से चिल्लाती या खुद से बातें करती दिखती थी. आशंका जताई जा रही थी कि कहीं किसी दिन उसके साथ कोई दुर्घटना या अपराध न हो जाए. मानपुर थाने की महिला पुलिस अधिकारियों ने जब



युवती से बात करने की कोशिश की, तो उसने खुद को रेशम पिता धर्मेंद्र गवली निवासी ग्राम गवलीपुरा मानपुर बताया और अपना जन्म वर्ष 1998 बताया. लेकिन बातचीत के दौरान उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं पाई गई. पुलिस ने उसके बताए पते और परिजनों की काफी तलाश की, लेकिन कोई सामने नहीं आया. इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जानकारी देने के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी ने उपनिरीक्षक त्रिलोक बोरासी और सब उपनिरीक्षक रेशम गिरवाल को युवती के पुनर्वास व उपचार की

नाबालिग बालिका को क्षिप्रा पुलिस ने देवास से बरामद किया

इंदौर. क्षिप्रा थाना क्षेत्र से लापता हुई 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने देवास से सफुल्ल बरामद कर लिया है. क्षिप्रा थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी 31 जुलाई को सपना पति दिनेश मकासरे ने क्षिप्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. मामले में गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण यागचैन लोकर भुटिया के निर्देशन में, एएसपी रूपेश द्विवेदी और एसडीओपी सांवर प्रशांत भट्टेरिया के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की, टीम ने घटना के बाद लगातार सुराग जुटाने शुरू किए. इस दौरान पुलिस टीम ने महु और इंदौर ग्रामीण साखर सेल की मदद से 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के निरीक्षण और सूचना तंत्र को सक्रिय किया. अंततः बुधवार को विधुसनीय सुत्रों की मदद से बालिका को देवास से बरामद कर लिया. पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह परिजनों से नाराज होकर स्वयं घर छोड़कर चली गई थी. उसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी या अपराधिक कृत्य की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने उसे काठसैलिंग के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

महिला वकील को जान से मारने और एसिड हमले की दी धमकी

- ▶ केस की पैरवी से मना किया तो मिला खौफनाक अंजाम का इशारा
- ▶ आजाद नगर थाने में शिकायत

इंदौर. शहर में एक महिला अधिवक्ता को केस की पैरवी न करने की कीमत जान से मारने और चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी के रूप में चुकानी पड़ी है. मामला भाजपा नेता कमाल खान के बेटे माज खान से जुड़ा है, जो पहले भी विवादों में रह चुका है.

पीड़िता अधिवक्ता माधुरी जाधव अन्य वकीलों के साथ आजाद नगर थाने पहुंचीं और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपी. अधिवक्ता जाधव का आरोप है कि उन्हें माज खान ने केस की पैरवी से पीछे हटने का दबाव बनाते हुए जानलेवा धमकी दी. पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि धमकी देते हुए आरोपी

ने साफ कहा कि अगर उसने केस से हटने से इनकार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा या तो जान से हाथ धो बैठोगी या चेहरे पर एसिड डाल दिया जाएगा. इस पूरे घटनाक्रम के बाद वकील समुदाय में आक्रोश है. अधिवक्ता जाधव अकेली नहीं थीं, बल्कि शहर के कई अन्य वकील भी उनके समर्थन में थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि माज खान पूर्व में भी कई मामलों में विवादित रह चुका है. मामले में आजाद नगर पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है. प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, वकीलों ने इंदौर पुलिस प्रशासन और शासन से मांग की है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए जाएं और आरोपी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई हो.

खेतों और सुनसान इलाकों से बैटरियां चुराने वाले दो नाबालिग पकड़ाए

▶ कबाड़ी कारोबारी से चोरी का माल बरामद



नव भारत न्यूज
इंदौर. किशनगंज पुलिस ने ट्रैक्टरों से बैटरियां चोरी करने वाले दो नाबालिग को गिरफ्तार कर चोरी की बैटरियां खरीदने वाले एक स्कूप कारोबारी को भी दबोचा है. आरोपियों से चोरी की दो बैटरियां और तीन हजार रुपए नकद बरामद किए हैं. पुलिस द्वारा बरामद माल की कीमत करीब 20 हजार रुपए बताई गई है. एएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि पांच अगस्त को ग्राम भाटखेड़ी निवासी अर्जुन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खेत में खड़े दो ट्रैक्टरों से बैटरियां चोरी हो गईं. मामले में किशनगंज पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी



तलाश शुरू की थी. मुखबिरों और लोकल इंटील्लिजेंस के आधार पर दो नाबालिगों को हिरासत में लिया. पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात कबूलते हुए बताया कि वे खेतों और सुनसान जगह खड़े वाहनों से बैटरियां चुराते थे और इन्हें स्कूप व्यापारी मोहम्मद रफीक निवासी करौंदिया चौपाटी को बेच देते थे. पुलिस ने जब रफीक से पूछताछ की तो उसने चोरी का माल खरीदने की बात स्वीकार की और बताया कि उसने दोनों बैटरियां 3000 में आगे बेचने के लिए ली थीं. आरोपी की निशानदेही पर बैटरियां और सौदे की रकम जब्त की गई. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि नाबालिग चोरों का यह गिरोह और कितनी वारदातों में शामिल रहा है.

एक नजर में

केंद्रीय जेल की महिला बंदियों बना रहीं हैं राखियां, स्वरोजगार और पुनर्वास की दिशा में अन्वै पहल

जेल की दीवारों के बीच सजी रक्षाबंधन की डोर

नव भारत न्यूज
इंदौर. रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व को लेकर इंदौर केंद्रीय जेल की महिला बैरक में इस बार खास तैयारियां हो रही हैं. यहां की महिला बंदियों न सिर्फ त्योहार के उल्लास को महसूस कर रही हैं, बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं. जेल प्रशासन की पहल पर महिला बंदियों द्वारा राखियों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आम नागरिक भी खरीद सकेंगे.



जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि पिछले 10 दिनों से महिला बंदियों को राखी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इन बंदियों का लक्ष्य करीब 1000 राखियां तैयार करने का है. इन राखियों को केंद्रीय जेल इंदौर के 'कान्हा आउटलेट' के माध्यम से बिक्री के लिए

उपलब्ध कराया जाएगा. कीमतें भी आम लोगों को पहुंचने में रखी गई हैं 10 से 80 तक की श्रेणी में राखियां खरीदी जा सकेंगी. जेल प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की गतिविधियां महिला बंदियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाते

राखियों में झलक रहा पुनर्वास का रंग

इन राखियों की मांग सिर्फ जेल परिसर में ही नहीं, बल्कि शहर के बाहर भी देखी जा रही है. जेल प्रशासन आगे इसे एक नियमित कोशल कार्यक्रम में तब्दील करने की योजना बना रहा है.

के साथ-साथ उन्हें हुनरमंद भी बनाती हैं, जिससे वे जेल से बाहर निकलने के बाद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें.